व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यन्त्र अनुदान पर देने बारे वर्ष 2018–19

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन–सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमैन्ट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में इन–सीटू अवशेष प्रबंधन कृषि यन्त्र जैसे 1) सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस एम एस), 2) हैप्पी सीडर, 3) पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, 4) शर्ब मास्टर/कटर–कम–स्प्रेडर, 5) रिवर्सिबल एम बी प्लो, 6) रोटरी स्लेशर, 7) जीरो टिल ड्रील मशीन, 8) रोटावेटर । एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्र (प्रत्येक 1) के लिए अनुदान का पात्र होगा । प्रत्येक कृषि यन्त्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मुल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी। इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचिबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है ।

इस बारे में विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्कीम के बारे में जानकारी व आवेदन पत्र संबंधित उप–कृषि निदेशक / सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से प्राप्त करके निर्धारित समय के अन्दर आवेदन कर सकते है (**समय सीमा 02–05–2018 प्रातः 10 बजे से दिनांक 31–05–2018 सांय 5 बजे तक निर्धारित है**)।

निदेशक,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकूला